

वन विभाग हरियाणा

आवश्यक सूचना-12

(काष्ठ आधारित उद्योगों के नए लाइसेंस प्रदान करने हेतु)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा द्वारा दिनांक 08.02.2018 को हुई सभा में यह निर्णय लिया गया है कि काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये नए लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करने के लिए फिर से ऑनलाईन पोर्टल www.haryanaforest.gov.in शुरू कर दिया जाए। अतः सर्व साधारण एवं काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह नए लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु विभाग की वेबसाइट www.haryanaforest.gov.in पर ऑनलाईन मॉड में दिनांक 14.03.2018 से 30.04.2018 (सांय 05:00 बजे तक) आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे सम्बन्धित IP Address <http://164.100.137.122/> है।

नये लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन के लिए “निर्धारित आवेदन पत्र (online)”, “निर्धारित शर्तें एवं नियम” (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) एवं “आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश” विभाग की वेबसाइट www.haryanaforest.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन भरने से पहले उपरोक्त अनुसार “निर्धारित शर्तें एवं नियम” तथा “आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश” का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर लेंगे व उसी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। यदि प्रस्तुत किये गए आवेदन में पाया गया कि आवेदक शर्तें एवं नियम पूर्ण नहीं करता या आवेदन दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया है या अपूर्ण है तो ऐसे आवेदन पत्रों के रद्द कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी आवेदनकर्ता की होगी।

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा-1, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6, पंचकूला।